



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274451
CG-DL-E-14072026-274451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3661]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3661]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3823(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य के अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -248A (सरिस्का टाइगर रिज़र्व) के किमी 49.100 से किमी 71.447 (मुण्डावरा मोड़ - तालवृक्ष- कुशलगढ़- नटनी का बारा) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो/चार लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-248A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपखण्ड अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग	राजस्थान	अलवर	अलवर	1 धर्मपुरा

	अलवर	संख्या NH248A के कि.मी 69.6 से कि.मी 71.447 तक												
2	उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH248A के कि.मी 61 से कि.मी 69.6 तक	राजस्थान	अलवर	<table><tr><td rowspan="3">मालाखेडा</td><td>1</td><td>काला छारा</td></tr><tr><td>2</td><td>कुशालगढ़</td></tr><tr><td>3</td><td>माधोगढ़</td></tr></table>	मालाखेडा	1	काला छारा	2	कुशालगढ़	3	माधोगढ़		
मालाखेडा	1	काला छारा												
	2	कुशालगढ़												
	3	माधोगढ़												
3	उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH248A के कि.मी 49.1 से कि.मी 61 तक	राजस्थान	कोटपूतली- बहरोड़	<table><tr><td rowspan="4">नारायणपुर</td><td>1</td><td>मुण्डावरा</td></tr><tr><td>2</td><td>मानावास</td></tr><tr><td>3</td><td>वैरावास</td></tr><tr><td>4</td><td>नागलहेडी</td></tr></table>	नारायणपुर	1	मुण्डावरा	2	मानावास	3	वैरावास	4	नागलहेडी
नारायणपुर	1	मुण्डावरा												
	2	मानावास												
	3	वैरावास												
	4	नागलहेडी												

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2026/03]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3823(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/2/4 laning with paved shoulders etc.) from km. 49.100 to km. 71.447 (Mundawara Mod- Talvraksh- Kushalgarh- Natni ka Bara) on National Highway No. 248A falling in Sariska Tiger Reserve in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 248A in the State of RAJASTHAN.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Officer, Alwar	NH248A KM 69.6 TO KM 71.447	RAJASTHAN	ALWAR	Alwar	1 Dharampura
2	Sub Divisional Officer,	NH248A KM 61 TO KM	RAJASTHAN	ALWAR	Malakhera	1 Kala Chara 2 Kushalgarh

	Malakheda	69.6				3	Madhogarh
3	Sub Divisional Officer, Narayanpur	NH248A KM 49.1 TO KM 61	RAJASTHAN	Kotputli- Behror	Narayanpur	1	Mundawara
						2	Manawas
						3	Bairawas
						4	Nagalhedi

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2026/03]

SHAIKH AMINKHAN, Director